

अंतरिक्ष विभाग
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
सूचना का अधिकार - (स्व प्रकटीकरण)

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत, सूचना प्राप्त करने का अनुरोध, दस रुपए के एक आवेदन शुल्क के साथ, सी.पी.आई.ओ./ वैकल्पिक सी.पी.आई.ओ. या ए.पी.आई.ओ. को भेजा जाना चाहिए (आर.टी.आई. पोर्टल में दी गई सूची के अनुसार)। सूचना प्राप्त करने के लिए कोई निर्दिष्ट आवेदन पत्र नहीं है।

शुल्क भुगतान का साधन:

एक आवेदक को भारतीय डाक आदेश (आई.पी.ओ.) या डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) या बैंकर्स चेक द्वारा रु. 10/- के शुल्क का भुगतान करना होगा जो वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के नाम देय हो तथा इसे संबंधित सी.पी.आई.ओ./ वैकल्पिक सी.पी.आई.ओ. अथवा संबंधित ए.पी.आई.ओ. को भेजा जाना चाहिए, जिसके नाम पर आवेदन पत्र संबोधित किया गया हो। यदि आवेदक नकद द्वारा आवेदन शुल्क जमा करना चाहता हो तो, उसे संबंधित सी.पी.आई.ओ./ वैकल्पिक सी.पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ. के लेखा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा तथा रसीद प्राप्त करनी होगी। मूल रसीद को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा और इसे सी.पी.आई.ओ./ वैकल्पिक सी.पी.आई.ओ./संबंधित ए.पी.आई.ओ. को प्रस्तुत करना होगा।

नोट: गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) के वर्ग से संबंधित आवेदकों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी बी.पी.एल. प्रमाणपत्र के सत्यापित प्रति को प्रस्तुत करना होगा।

स्रोत: आर.टी.आई. कोष्ठ, अं.वि./इसरो मु.